(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1762–तीन/2003 विरूद्ध आदेश, दिनाक 17–9–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 193/2000–01 अपील.

1 गौरीशंकर
2 दयाशंकर
3 उमाशंकर
पुत्रगण साहब सिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीकृष्ण शर्मा आत्मज आशाराम शर्मा ब्राह्मण
निवासी ग्राम सिलोली तहसील मेहगांव जिला भिण्ड
हाल निवासी पृथ्वीपुरा तहसील पोरसा, जिला मुरैना

–अनावेदक

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 193/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–9–2003 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील पोरसा, जिला मुरैना में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 814 रकबा 0.626 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 828/1 रकबा 0.585 हैक्टेयर जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी मलखान सिंह शर्मा थे । अभिलिखित भूमिस्वामी मलखान सिंह शर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद निगरानीकर्तागण द्वारा उनके हित में सम्पादित दो वसीयतनामे (प्रथम वसीयतनामा दिनांक 23–8–95 को सर्वे कमांक 828/1 के संबंध में तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 11–9–95 सर्वे कमांक 814 के संबंध में) के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत पटवारी मौजा को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । गैरनिगरानीकर्ता द्वारा उक्त नामांतरण में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उसके हक में सम्पादित वसीयतनामा दिनांक 12–9–95 के आधार पर विवादित भूमियों पर नामांतरण किये जाने की याचना की गयी । नामांतरण विवादित हो जाने के कारण पटवारी मौजा द्वारा कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को भेजा गया । तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रकरण कमांक 02/95–96/अ–6 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 3–12–98 से मृतक मलखानसिंह शर्मा के स्थान पर वसीयतनामें दिनांक 23–8–95 एवं 11–9–95 के आधार पर विवादित भूमियों पर निगरानीकर्तागण के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–98 से परिवेदित होकर प्रतिनिगरानीकर्ता श्री कृष्ण शर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 19/98–99/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 30–4–2001 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2001 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2001 से दुखी होकर निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 193/2000–01/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 17–9–2003 से

अस्वीकार की गयी । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह बताया है कि तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात निगरानीकर्तागण के हक में वसीयतनामा दिनांक 23–8–95 एवं 11–9–95 को साक्ष्य से प्रमाणित मानकर विवादित भूमियों पर नामांतरण स्वीकार किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह मानकर कि वसीयतकर्ता ब्राहम्ण जाति का है और वसीयतग्रहीता ठाकुर जाति के हैं, के आधार पर नामांतरण आदेश को निरस्त करने में भूल की है । अपर आयुक्त द्वारा भी साक्ष्य की विवेचना न करते हुये निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपीलको निरस्त करने में भूल की है । मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी मलखानसिंह शर्मा द्वारा सर्वे कमांक 828/1 के संबंध में दिनांक 11–9–95 को वसीयतनामा सम्पादित किया गया जबकि सर्वे कमांक 814 का वसीयतनामा दिनांक 23–8–95 को सम्पादित कराया गया । ये दोनों वसीयतनामें नोटरी द्वारा सम्पादित कराये गये हैं । दोनों भूमियों का मलखानसिंह शर्मा भूमिस्वामी था और वह निगरानीकर्तागण के साथ रहता था तो क्या कारण रहा है कि पृथक पृथक वसीयतनामा करना पड़ा । इस संबंध में निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक मौन रहे हैं । इस संबंध में निगरानी मेमो में भी कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गये । इस कारण से भी वसीयतनामें शंका की परिधि में आते हैं । इसके अलावा प्रथम वसीयत दिनांक 23–8–95 पर मृतक मलखानसिंह शर्मा द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि दिनांक 11–9–95 को दूसरा वसीयतनामा तैयार किया गया उस पर निशानी अंगूठा लगाया गया है । एक

यह भी कारण वसीयतनामों को शंकास्पद बनाता है । इस संबंध में भी निगरानीकर्तागण के अभिभाषक द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । प्रति निगरानीकर्ता द्वारा उसके हक में सम्पादित वसीयतनामा दिनांक 12–9–95 जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता श्रीकृष्ण शर्मा की वसीयतनामे को इस आधार पर संदिग्ध माना है । जबकि वसीयत का पंजीयन वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी कराया जा सकता है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 40 एवं 41 में प्रावधान किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा बिना इसका अवलोकन किये ही वसीयत को संदिग्ध मानने में भूल की गयी है । निगरानीकर्तागण के हक में सम्पादित वसीयतनामों को संदेह से परे सिद्ध न होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा विस्तार से विवेचना की गयी है जो प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये उचित प्रतीत होती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हैं और ऐसे तथ्यों के आधार पर निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

5/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित होने के कारण यथावत रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर